न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 87/2022

अनवान : –

1. बलवन्त पुत्र महीपाल सिंह जाति जाट निवासी 11 डीपीएन(गोगामेड़ी) तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. सुभाष पुत्र महीपाल सिंह जाति जाट निवासी 11 डीपीएन (गोगामेड़ी) तहसील नोहर।
2. कमला पुत्री महीपाल सिंह जाति जाट निवासी 11 डीपीएन(गोगामेड़ी) तहसील नोहर।
3. मोहनी देवी पत्नी भीमसिंह जाति जाट निवासी 11 डीपीएन(गोगामेड़ी) तहसील नोहर।
4. होशियार सिंह पुत्र भीमसिंह जाति जाट निवासी 11 डीपीएन(गोगामेड़ी) तहसील नोहर।
5. विकास पुत्र भीमसिंह जाति जाट निवासी 11 डीपीएन(गोगामेड़ी) तहसील नोहर।
6. ममता पुत्री भीमसिंह जाति जाट निवासी 11 डीपीएन(गोगामेड़ी) तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
8. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
9. अशोक कुमार पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी 11 डीपीएन(गोगामेड़ी) तहसील नोहर।
10. नरेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी 11 डीपीएन(गोगामेड़ी) तहसील नोहर।
11. कुलदीप पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी 11 डीपीएन(गोगामेड़ी) तहसील नोहर।
12. प्रदीप पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी 11 डीपीएन(गोगामेड़ी) तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय — दिनांकः 17/4/23

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 11 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 67/59 की कुल 6.5510 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सायल के मृतक पिता महीपाल सिंह पुत्र हंसराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि सायल व गैरसायल की खातेदारी कृषि भूमि है जो सायल के पिता महीपाल सिंह पुत्र हंसराम को विरासतन प्राप्त हुई थी जिसमें सायल का जन्मजात हक व हिस्सा है। सायल के पिता महीपाल सिंह पुत्र हंसराम का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिस बलवन्त, सुभाष, कमला व भीमसिंह हुए जिसमें भीमसिंह का [illegible] हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी स0 3 ता 6 है। गैरसायल स0 1 [illegible] काफी तेज तर्रार व्यक्ति है। गैरसायल स0 1 जालसाजी करके [illegible] तैयार करवाकर [illegible] भूमि अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

अकेले के नाम दर्ज करवाकर भूमि बेचने को आमाद है। यदि गैरसायल अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावें की ताफैसला दावा रोही मौजा 11 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 67/59 की कुल 6.5510 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सायल के मृतक पिता महीपाल सिंह पुत्र हंसराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, को रहन, बैय व मुन्तकिल आदि नही करें और मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 11 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 67/59 की कुल 6.5510 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सायल के मृतक पिता महीपाल सिंह पुत्र हंसराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

अप्रार्थी स0 9 व 10 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन किया की उक्त वादग्रस्त भूमि दादालाई कृषि भूमि नही है। महीपाल सिंह पुत्र हंसराम को उक्त भूमि अपनी सगी मामी से वसीयत से प्राप्त हुई थी। महीपाल सिंह की मामी छोटी देवी पत्नी धुड़ाराम उर्फ धनपतराम जाति जाट निवासी जोगीवाला ने यह भूमि खरीद की हुई थी जो उसकी स्वयं की पैदाकृता भूमि थी वही भूमि वसीयतनामा से महीपाल सिंह को दी गई थी इसलिए महिपाल सिंह की यह भूमि स्वयं पैदाकृता भूमि है दादालाई भूमि नही है, जिस पर उसके वारिसों का कोई हक हिस्सा नही बनता है। सायल व गैरसायलान ने यह दावा व प्रार्थना पत्र मिलकर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि को हड़पने के लिए पेश किया है। महीपाल सिंह पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी 11 डीपीएन तहसील नोहर ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.08.2013 को एक वसीयत तस्दीक करवाई। अशोक कुमार, नरेन्द्र सिंह पुत्रगण बलवन्त, होशियार सिंह, विकास पुत्रगण भीमसिंह, कुलदीप, प्रदीप पुत्रगण सुभाष है इसलिए तीन बेटों के 6 पोत्र को वादग्रस्त भूमि की वसीयत की थी जिसमें बलवन्त व सुभाष पुत्रगण महिपाल सिंह दोनों गवाह है जो वसीयत से सहमत है। महीपाल सिंह का दिनाक 09.08.2020 को देहान्त हो गया था जिसके मुताबिक वसीयत का नामान्तरण आदेश दिनांक 25.01.2022 उप तहसीलदार रामगढ़ के द्वारा मुताबिक वसीयत नामानतरण दर्ज करने का जारी हुआ जिसका प्रार्थी का ज्ञान था अब स्थगन होने के कारण भूमि का नामान्तरण नही हो रहा है। उक्त दावा वसीयत को छुपाकर पेश किया गया है। वसीयतनामा की पालना में तहसीलदार रामगढ़ ने अखबार में साया करवाकर गवाह के बयान लेकर वादग्रस्त भूमि का आदेश जारी कर नामान्तरण दर्ज करने के लिए आदेश दिया गया था इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा दूसरे की भूमि पर जारी नही की जा सकती है जो खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना प्रार्थी खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। यह तथ्य तो वा[illegible] सबूतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में प्रार्थी हक हिस्सा पाने का अधिकारी है [illegible] पत्र में तो केवल यह देखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा 11 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 67/59 की कुल 6.5510 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सायल के मृतक पिता महीपाल सिंह पुत्र हंसराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी ने कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो सायल के पिता महीपाल पुत्र हंसराम को विरासतन प्राप्त हुई है जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा (अन्तिम इच्छा पत्र) की चित्रप्रति से स्पष्ट है कि महीपाल सिंह पुत्र हंसराम के द्वारा रोही मौजा चक 11 डीपीएन के खाता स0 53/57 के प0न0 410/441(2) व प0न0 410/442(5) मु0न0 77/1 की कुल 6.5510 है भूमि में से मेरा 259 हिस्सा भूमि की वसीयत अपने छः पौत्रों क्रमशः 1. अशोक कुमार 2. नरेन्द्र सिंह पि0 बलवन्त 3. होशियारसिंह 4. विकास पि0 भीमसिंह 5. कुलदीप 6. प्रदीप पि0 सुभाष के पक्ष में दिनांक 22.08.2013 को वसीयत की गई है। जिस पर प्रार्थी बलवन्त स्वयं गवाह है और वसीयत पर बलवन्त के हस्ताक्षर भी है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा की चित्रप्रति से यह भी स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि जरिये वसीयतनामा महीपाल पुत्र हंसराम के नाम दर्ज हुई उक्त भूमि महीपाल के नाम विरासतन दर्ज न होकर जरिये वसीयत दर्ज हुई है। वैसे भी विवादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा वसीयत के खंडन में कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किया गया है अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वसीयत आज दिनांक तक प्रभावी है। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में छोटी देवी द्वारा महिपाल सिंह पुत्र हंसराम के पक्ष में कि गई वसीयत एवं महिपाल सिंह पुत्र हंसराम द्वारा अपने 6 पौत्रों क्रमशः 1. अशोक कुमार 2. नरेन्द्र सिंह पि0 बलवन्त 3. होशियारसिंह 4. विकास पि0 भीमसिंह 5. कुलदीप 6. प्रदीप पि0 सुभाष के पक्ष में दिनांक 22.08.2013 को की गई वसीयत दोनों तथ्य गैरसायलान के पक्ष में साबित होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला गैरसायलान के पक्ष में बनता है। प्रथम दृष्टया मामला गैरसायलान के पक्ष में बनने के कारण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी गैरसायलान के पक्ष में साबित होता है। इसलिए गैरसायलान को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 7/12/23.....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:31 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर